

नियम 98 : हस्तलेख, हस्ताक्षर आदि का नमूना लेना

आयुक्त, यदि आवश्यक हो, अपने समक्ष परीक्षित किए गए किसी साक्षी के हस्तलेख, हस्ताक्षर या अंगुली के निशान का नमूना ले सकेगा।
